संख्या 531 / 37 /E-46661 /बजट /2024

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव (वित्त)/ निदेशक (बजट),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/ सचिव/ सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त विभाग (बजट) देहरादून :: दिनांक 13 अगस्त, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक मांग निर्माण से पूर्व विभागों के साथ समीक्षा बैठक।

महोदय,

कृपया वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 I/226838/2024, दिनांक 23 जुलाई, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक मांग हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सचिव, वित्त के पूर्व पत्र संख्या 529/37/ई–46661/ बजट/ 2024, दिनांक 08 अगस्त, 2024 https://budget.uk.gov.in/pages/display/104-letter में रक्षित है। इस पत्र के द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में **दिनांक 12 अगस्त, 2024 से 14 अगस्त, 2024 तक** चतुर्थ तल, विश्वकर्मा भवन स्थित सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। जो विभाग इसमें सम्मिलित नहीं थे उन विभागों की समीक्षा निम्न तालिकानुसार की जायेगी। विभागवार सचिव स्तर की मांग व औचित्य के साथ बजट साहित्य के क्रमानुसार (विस्तृत लेखाशीर्षक के अनुसार) चर्चा की जाएगीः–

संशोधित समय सारणी

दिनांक	विभाग	समय
15.08.2024	शहरी विकास एवं पंचायती राज	12.00 Noon to 12.45 PM
	पर्यटन, संस्कृति, परिवहन एवं युकाडा	12.45 PM to 01.30 PM
	न्याय व पुलिस	02.30 PM to 03.15 PM
	कृषि, उद्यान, गन्ना, सहकारिता एवं रेशम	03.15 PM to 04.00 PM
	खेल, युवा कल्याण व राज्य कर	04.00 PM to 05.00 PM

बजट निदेशालय में अनुपूरक मांग की ऑफलाईन हार्ड कॉपी प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

बैठक में अपने अधीनस्थ विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक तथा शासनस्तर से सक्षम स्तर के अधिकारी (जो संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून हों) प्रतिभाग करना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। अनुदान सं0 30 एवं 31 की समीक्षा सम्बन्धित विभागों के साथ ही की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव (वित्त)/ निदेशक (बजट)।

संख्या 531 / 37 /E-46661 /बजट /2024, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव— मा0 मुख्यमंत्री जी को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव— मा0 वित्त मंत्री जी को महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग) को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित वित्त अनुभाग अधिकारियों सहित संलग्नक सूची में अंकित अपने व्यय नियंत्रण से सम्बन्धित विभागों के साथ निर्धारित तिथि/ समय से पूर्व शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।
5. बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि बैठक सुचारू रूप से सम्पन्न होने की सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

(दिलीप जावलकर)
सचिव (वित्त)/ निदेशक (बजट)।